

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं

दिनांक

32/2012

26/3/2012

RBE No. 32/2012

संख्या:- 936-E/0/TRG

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर .....  
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर  
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर  
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर  
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर  
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर  
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर  
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर  
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर  
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Revised training module for Assistant Loco  
Pilots

संदर्भ :- Railway Board E(MPP) 2009/3/14

dt. 13/3/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि.  
एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन

13/3/12

सलंगन- यथोक्त।


(आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- |     |                               |    |           |
|-----|-------------------------------|----|-----------|
| 7.  | महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू       | 15 | प्रतियों। |
| 8.  | महासचिव- यूपीआरएमएस           | 15 | प्रतियों। |
| 9.  | महासचिव- एससी/एसटी एसो.       | 15 | प्रतियों। |
| 10. | महासचिव- ओबीसी एसो.           | 05 | प्रतियों। |
| 11. | महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 | प्रतियों। |





Government of India (Bharat Sarkar)  
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)  
(Railway Board)

GM 20/3/12  
CPD  
Dy CPO  
21/3  
23/3


No. E(MPP)2009/3/14

RBE No. 32/2012

Dated: 13.03.2012

NWR  
The General Manager,  
All Indian Railways including Production Units

**CORRIGENDUM**



Sub: - Revised training module for Assistant Loco Pilots.

Kindly refer Board's letter of even number dated 26.09.2011 enclosing therein the Advance Correction Slip 218 I amending para 137(2)(iv) of Sub Section III of Section 'B' under Chapter -I of IREM Vol.I.

The following may please be modified

Para 137(2)(iv)

as

Para 137(2)(iii)

42

2. In view of the above changes, the Indian Railway Establishment Manual Volume I (1989 Edition) is accordingly amended as in Advance Correction Slip No.222 (enclosed).

DA: as above

(Anil Wason)  
Dy. Director/MPP  
Railway Board

No. E(MPP)2009/3/14

Dated: 13.03.2012

**Copy to:**

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary Railway Board

Contd/.....

10  
23/3



Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

**Advance Correction Slip No.222**

Amend the following vide para 137(2) (iii) of Sub-Section III of Section 'B' under Chapter-I of Indian Railway Establishment Manual Vol. I (1989 Edition)

137(2) (iii) Training and Stipend: They will be on training for a period of 17 weeks. Stipend: ₹.5830 +1900/-

(Authority: Railway Board's letter No. E(MPP)2009/3/14 dated: 13.03.2012)



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. सं. 32/2012

सं. ई (एम पी पी)/2009/3/14

नई दिल्ली, दिनांक: 13.03.2012

महाप्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,

शुद्धिपत्र

विषय: सहायक लोको पायलटों के लिए संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल .


बोर्ड के दिनांक 26.9.2011 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जिसके साथ भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I के अध्याय-I के अंतर्गत खंड 'ख' के उपखंड III के पैरा 137 (2) को संशोधित करते हुए अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 218 I संलग्न है।

कृपया निम्नलिखित को आशोधित किया जाए:

पैरा 137 (2) (iv) को पैरा 137 (2) (iii) के रूप में

2. उपर्युक्त परिवर्तनों को देखते हुए तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) को अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. ~~222~~ (संलग्न) के अनुसार संशोधित किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त



(अनिल वासन)

उप निदेशक (जनशक्ति योजना)  
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ (35 अतिरिक्त प्रतियां)
3. महासचिव, एफ आर ओ ए, कमरा नं. 256 ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. राष्ट्रीय परिषद् और विभागीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)



भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 222

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के अध्याय-I के अंतर्गत खंड 'ख' के उप-खंड III के पैरा 137 (2) (iii) के तहत निम्नलिखित संशोधन किया जाए :-

137 (2) (iii) प्रशिक्षण एवं वृत्तिका : वे 17 सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण पर होंगे.  
वृत्तिका : 5830+1900 रुपए

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.03.2012 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/2009/3/14)

3/12